डीजी परिपत्र संख्या - 66 /2015

जगमोहन यादव
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः सितम्बर 26 ,2015

विषय : विवेचनाओं के गुणवत्तापरक, समयबद्ध एवं त्रुटिहीन निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।

प्रिय महोदय,

विवेचनाओं के गुणवत्तापरक, समयबद्ध एवं त्रुटिहीन निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। विवेचनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था द्वारा अपने परिपत्र संख्या : एडीजी परिपत्र - 02/2013 दिनांक 21.02.2013 द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के बिन्दु 9(1) के प्रस्तर (बी) में यह उल्लेख है कि **"विवेचना के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदित कार्य-योजना के अतिरिक्त कुछ और गवाहों के बयान या अभिलेखीय साक्ष्य लेना है, तो विवेचक निर्धारित अधिकारी से उसका अनुमोदन करायेगें। अनुमोदनोपरान्त ही अन्य गवाहों के बयान लिये जायेगें।"**

2. विचारोपरान्त यह महसूस किया गया कि विवेचकों को गवाहों के बयान के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से बार-बार अनुमोदन लिये जाने में कठिनाई होती है। यदि विवेचना के दौरान यह पाया जाता है कि अनुमोदित कार्ययोजना के अतिरिक्त कुछ और गवाहों के बयान या अभिलेखीय साक्ष्य लेना है, तो विवेचक ऐसे गवाहों के बयान लेने हेतु प्रश्नावली तैयार करेगें और आवश्यकतानुसार ऐसे गवाहों के बयान 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिपिबद्ध करेंगें। इन गवाहों के बयान अंकन एवं साक्ष्यों के एकत्रीकरण में विवेचक को निर्धारित अधिकारियों से बार-बार अनुमोदन लेने की कोई आवश्यकता नही होगी।

3. धारा 158 द0प्र0सं0 1973 के प्राविधानों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा केस डायरीज का अनुश्रवण किया जाता है। यदि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा कोई भी बयान अथवा साक्ष्य अप्रांसगिक पाया जाता है अथवा किसी अतिरिक्त बयान अथवा साक्ष्य को विवेचना के हित में आवश्यक पाया जाता है तो तद्नुसार अपराध रजिस्टर में कारण सहित अपना Observation अंकित करते हुए विवेचक को स्पष्ट निर्देश भेज सकता है। पर्यवेक्षण अधिकारी के किसी भी वैध आदेश का विवेचना के दौरान विचार किया जाना विवेचक के लिए अनिवार्य होता है।

4. इसी प्रकार संदर्भित सर्कुलर के प्रस्तर - 9 के उपप्रस्तर - 4 में अंकित है, विवेचना में किसी भी अभियुक्त का नाम घटानें, बढ़ाने या प्रकाश में लाने हेतु विवेचक लिखित रूप से इसका अनुमोदन निम्नलिखित अधिकारियों से लेंगें :-

अपराध	अनुमोदन अधिकारी
हत्या/बलात्कार	प्रभारी पुलिस अधीक्षक
डकैती/लूट/दहेज हत्या	अपर पुलिस अधीक्षक
अन्य अपराध	क्षेत्राधिकारी

उक्त निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी अभियुक्त का नाम घटाने, बढ़ाने अथवा प्रकाश में लाने हेतु विवेचक केस डायरी लिखता है और वह केस डायरीज पर्यवेक्षण अधिकारियों को अनुश्रवण हेतु अविलम्ब भेजी जाती हैं। यदि पर्यवेक्षण अधिकारी किसी अभियुक्त का नाम बढ़ाने, घटाने अथवा प्रकाश में लाने के लिए विवेचक के कार्य को गलत अथवा बिना पर्याप्त साक्ष्य के पाता है तो पर्यवेक्षण अधिकारी कारण सहित अपनी आपत्ति दर्ज करने तथा तद्नुसार विवेचक को स्पष्ट निर्देश देने के लिए अधिकृत है। यदि विवेचक द्वारा उन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा अनुपालन न करने का कोई समुचित कारण नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो पर्यवेक्षण अधिकारियों को विवेचक के विरूद्ध कार्यवाही करने, उसकी सत्यनिष्ठा रोकने तथा विवेचना किसी अन्य विवेचक को सुपुर्द करने का पूर्ण अधिकार है।

5. विवेचकों की मनमानी रोकने के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित तथा प्रभावी हस्तक्षेप कर पाने के लिए नियमों व आदेशों की कमी नही है। इसके लिए बहुत पहले से ही बहुत उपयोगी नियम व परम्परायें प्रचलित हैं, यथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा अपराध रजिस्टर अथवा एस0आर0 पत्रावली में केस डायरीज का सार(gyst) अपने हस्तलेख में अंकित करना, पर्यवेक्षण अधिकारी से भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना आदि। समस्या यह है कि पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा इन नियमों एवं परम्पराओं का अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है। साथ ही अपराध रजिस्टर अथवा एस0आर0 पत्रावली पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा विवेचना की दिशा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई (Specific) सार्थक तथा स्पष्ट निर्देश अंकित नही किये जा रहे हैं।

6. पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से लगातार विवेचना के सम्बन्ध में अत्यन्त सार्थक दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं और पुलिस रेगुलेशन में भी विस्तार से सारी प्रक्रिया अंकित की गयी है। जब तक इन कानूनों, नियमों, निर्देशों तथा परम्पराओं की Spirit के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करायी जायेगी तब तक विवेचना की गुणवत्ता में सुधार नही आ पायेगा।

7. कतिपय मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी विवेचना में न्यायोचित हस्तक्षेप तो करता है परन्तु उसके लिए जिम्मेदारी लेने से बचता है इसलिए अपराध रजिस्टर/एस0आर0 पत्रावली पर केवल सामान्य तथा Vague किस्म के निर्देश रस्म-अदायगी के तौर पर अंकित कर देता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि पर्यवेक्षण अधिकारी केस डायरी को पढ़ें, समीक्षा करें और तद्नुसार Specific और सकारण निर्देश अंकित करें तो विवेचना की निष्पक्षता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में पर्यवेक्षण अधिकारी के योगदान का भी मूल्याकंन किया जा सकता है।

8. स्थिति यहाँ तक चिन्ताजनक हो गयी है कि विवेचना का पर्यवेक्षण केवल लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश देने तक सीमित होकर रह गया है। उसकी गुणवत्ता तथा निष्पक्षता का मूल्याकंन करके निर्देश अंकित करना और उनका अनुश्रवण करना यह वरिष्ठ अधिकारियों की प्राथमिकताओं में या तो है ही नहीं अथवा बहुत सतही है। जबकि विवेचना की गुणवत्ता, निष्पक्षता तथा बिना अनावश्यक विलम्ब के निस्तारण करके मुकदमें को न्यायालय तक पहुँचाने का कार्य विवेचकों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की प्राथमिकताओं (Priority list) में सबसे ऊपर होना चाहिए।

अपेक्षा की जाती है कि पर्यवेक्षण अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारीगण अपने प्रशिक्षण, अनुभव तथा कानूनी जानकारी का उपयोग करते हुए विवेचनाओं की गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु प्रभावी तथा सार्थक हस्तक्षेप करेंगें। निष्पक्ष व गुणवत्तापरक विवेचना सुनिश्चित कराना और विवेचनाओं का तत्परता से निस्तारण करके यथासमय मामलें को न्यायालय तक पहुँचाने का कार्य, पुलिस अधिकारी के रूप में, हम सभी का पावन कर्तव्य है।

भवदीय

26.9.15

(जगमोहन यादव)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।